**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)** (क) 1-11-1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों विभागों में अवर सचिव से लेकर सचिव के स्तरों पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत अधिकारियों की संख्या 1914 है। चूंकि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों के पास होती है, इसलिए इससे संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, हां निदेशक/उप सचिव स्तर के पदों पर प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता 500 रु० प्रतिमास तथा अवर सचिवों के लिए 400 रु० प्रतिमास है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उन अधिकारियों के लिए जो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नहीं आते हैं प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता निम्न दरों पर अनुज्ञेय है :—

(i) एक ही स्थान पर स्थानांतरण की स्थिति में कर्मचारी के मूल वेतन का 5 प्रतिशत जो 250 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

(ii) अन्य सभी मामलों में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत जो 500 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता किसी भी समय 7300 रु० प्रतिमास से अधिक न हो।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार के तहत पदों तथा सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी गई रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) जी, नहीं। चूंकि प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण न तो प्रारम्भिक भर्ती है न ही पदोन्नति, बल्कि यह ज्यादा बाद की आवाजाही के स्वरूप है, की यह भेदभाव पूर्ण नहीं है।

(ङ) जी, नहीं, उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए।

**तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी**

91. **श्री बहु मवेव आन्नद पासवान** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी और मैडिकल संस्थानों में शीर्ष पदों पर आसीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सम्बद्ध विभागों की विशेष शाखा में शिक्षित और प्रशिक्षित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने के बाद, भारत के विकास में और सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु उनके ही विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है; यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने का संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा)** (क) से (ग) संगठनों में शीर्ष पदों के लिए अनिवार्यतः व्यापक प्रबन्धकीय सुविज्ञता तथा बहु-विषयक परिपेक्ष्यों की आवश्यकता होती है। किसी तकनीकी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए बुनियादी तौर पर योजना, आयोजना, स्टाफिंग तथा बजट निर्माण में प्रशासनिक सुविज्ञता की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह एक तकनीकी विशेषज्ञ हो पर उसे प्रशासन की कला में निपुण होना चाहिए।

कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कभी-कभी उनके अनुभव, पृष्ठभूमि तथा योग्यता

को देखते हुए तकनीकी संगठनों का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तथापि, इस संबंध में सामान्य नीति यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा तकनीकी संगठनों में सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाए बल्कि यह है कि इन पदों को तत्काल संविलियन के आधार पर भरा जाए।

**Tenure Posting of Deputy Secretaries in Different Ministries**

92. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Department of Personnel have overlooked the tenure posting of Deputy Secretaries in different Ministries and has not been transferring those who have since completed three years tenure period in one Ministry;

(b) whether Government have been requested by Members of Parliament to cause transfer orders of such incumbents to avoid formation of personal interests either in the Ministry or in any PSU where such officers are holding Director level posts; and

(c) if so, the details thereof and the decision taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) Officers of the All India Services and Organised Central Services Group A are appointed as Deputy Secretaries under the Central Staffing Scheme, which provides for a tenure of 4 years for Deputy Secretaries. The tenure rules are strictly followed.

The tenure rules are not applicable to Central Secretariat Service Officers. The CSS officers appointed as Deputy Secretaries in a Ministry/Department normally continue in the same Ministry/Department till they get promotion as Directors. Under the existing policy, lateral shift of officers is not allowed.

(b) and (c) At present no request made by an M.P. for transfer of Deputy Secretaries from one Ministry to another is pending.

**Amount Allocated for the Rural Development Programme**

93. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the amount allocated and utilised for rural development during 1990-91, 1991-92, 1992-93 and so far in 1993-94 state-wise;

(b) the target fixed and achievements made during the above period State-wise particularly in Maharashtra and Gujarat;

(c) the schemes formulated, target fixed and amount allocated for the rural development programmes during the Eighth Five Year Plan;

(d) whether Government have received any complaints regarding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) The amount allocated/utilized as well as target fixed and achievements made in respect of major rural development programmes, namely — (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP); (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and (iii) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) — during the period 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94, State-wise including States of Maharashtra and Gujarat, are given in Annexure. [*See* Appendix CLXIX, Annexure No 9].

(c) Major rural development programmes like (i) IRDP; (ii) JRY; and (iii) ARWSP—will continue to be implemented during the Eighth Five Year Plan period. In addition, a new scheme, namely, Employmtnt Assurance Scheme (EAS) is